शोध परिषद की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

April 29

2023

शोधं एवं नवाचार निदेशालय

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्याल, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल, हल्द्वानी

शोध परिषद की तृतीय बैठक हेतु कार्यवृत्त

दिनांक 29 अप्रैल 2023 समय पूर्वाह्न 11:30 बजे

आज दिनांक 29 अप्रैल 2023 को प्रस्तावित **शोध परिषद** की तृतीय बैठक पूर्वाहन 11:30 बजे कुलपति प्रोफेसर ओ0पी0स0 नेगी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन हुई। बैठक निम्न सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1.	प्रो0 ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0एस0 बिष्ट, निदेशक, प्रशासन, एस0एस0जे0 विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।	सदस्य
3.	प्रो0 राजीव उपाध्याय, निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0, कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	सदस्य
4.	प्रो0 बी0एस0 बिष्ट, योजना बोर्ड सदस्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	सदस्य
5.	प्रो0 नीता बोरा शर्मा, विद्यापरिषद सदस्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	सदस्य
6.	प्रो0 अनीता रावत, निदेशक, यूसंर्क, देहरादून। (ऑनलाइन उपस्थित)	सदस्य
7.	प्रो0 दुर्गेश पन्त, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा।(ऑनलाइन उपस्थित)	सदस्य
8.	प्रो0 पी0डी0 पन्त, निदेशक, विज्ञान, कृषि एवं विकास अध्ययन, स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा।	सदस्य
9.	प्रो0 ए0के0 नवीन, निदेशक, विधि एवम् शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा।	सदस्य
10.	प्रो0 रेनु प्रकाश, निदेशक, मानविकी, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा।	सदस्य
11.	डॉ0 गगन सिंह, प्रभारी निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा।	सदस्य
12.	प्रो0 गिरजा प्रसाद पाण्डे,निदेशक,शोध एंव नवाचार ।	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, शोध परिषद द्वारा माननीय अध्यक्ष व सभी उपस्थित सम्मान्नित सदस्यों का शोध परिषद की तृतीय बैठक में स्वागत किया गया। सदस्य सचिव ने विशेष रूप से शोध परिषद की तृतीय बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्य प्रो0 पी0एस0 बिष्ट, प्रो0 राजीव उपाध्याय, प्रो0 बी0एस0 बिष्ट, प्रो0 नीता बोरा शर्मा एंवम, ऑनलाइन प्रतिभाग करने के लिए प्रो0 अनीता रावत व प्रो0 दुर्गेश पन्त का आभार व्यक्ति किया, तत्पश्चात अध्यक्षकी अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा कार्यसूची के विभिन्न विंदुओं को क्रमवार माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा सर्वसम्मति से कार्य सूची में उल्लिखितप्रस्तावों पर निम्नवत् निर्णय लिए गए–

प्रस्ताव संख्या–1 **शोध परिषद की द्वितीय बैठक के कार्यवृंत्त की पुष्टि ।**

प्रस्ताव परिषद के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः–

शोध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 15 अक्टूबर 2020 के कार्यवृत्त पर सदस्य सचिव द्वारा शोध परिषद को अवगत कराया गया कि शोध परिषद की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर कोई सुझाव अथवा संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। **परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**

(R.O)

प्रस्ताव संख्या–2 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/Ph.D.उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 पर विचार एवम् अंगीकृत किया जाना।**

निर्णय :–

शोध परिषद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/Ph.D. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 और इसके संसाधनों के प्रतिस्थापन में **"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022"को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।**

प्रस्ताव संख्या–3 **उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 2 के क्रम में विश्वविद्यालय के शोध उपाधि अध्यादेश, 2016 (तृतीय संशोधन 2018) में यूजीसी (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुसार प्रस्तावित संशोधन विचारार्थ एंवम तद्क्रम में संशोधित शोध उपाधि अध्यादेश, 2023 अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित।**

निर्णय :–

वर्तमान में प्रंचालित उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय शोध उपाधि अध्यादेश–2016 में **यूजीसी(पीएच0डी0. उपाधि प्रदानं करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) विनिमय, 2022 के अनुरूप शोध उपाधि अध्यादेश–2023(प्रारूप) में अधोलिखित अनुच्छेदों में आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई और अनुच्छेद(4.2),(4.3)&(5.4).(iv)को अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में जोंडा गया।**

(3.2) विश्वविद्यालय द्वारा अपने सांवधिक/अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक वर्ष और कार्य पूर्ण न हो सकने की स्थिति में पुनः एक (1) और वर्ष अर्थात अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता हैं।

(3.4) यह अवधि पूर्व वर्णित **(छः(6)वर्ष+दो(2)वर्ष+एक(1)वर्ष) से अधिक नहीं होगी।**

(4.2) विश्वविद्यालय में कार्यरत यूजीसी–नेट/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/जे0आर0एफ0/पीएचडी हेतु इंस्पायर फैलोशिप धारक और इसी स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएचडी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से छूट रहेगी।हॉलाकि उन्हें इस हेतु निर्धारित साक्षात्कार में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

(4.3) अनुच्छेद(4.2)के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुलपति अपने विशेषाधिकार से, संबंधित विषय एंव वर्ष के अंतर्गत विज्ञापित सीटों से अतिरिक्त आवश्यक सीटों की स्वीकृति प्रदान करेंगे। ऐसी सीटें विज्ञापित सीटों से अतिरिक्त होंगी।

(4.3) संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (CRET) के पाठय विवरण(Syllabus) में 50% प्रश्न शोध पद्धति तथा 50% विषय से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के भाग A (शोध पद्धति) में 35 प्रश्न भाग B (विषय) से सम्बन्धित 35 प्रश्न, पूछे जाएंगे प्रश्नों की कठिनाई स्तर निम्नवत निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येग भाग में 5 प्रश्न सामान्य स्तर के, 15 प्रश्न मध्यम स्तर के कठिन, 15 प्रश्न कठिन स्तर के, कुल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा 30 अंको का साक्षात्कार होगा।

(5.2) कोर्स वर्क कीअवधि को शोध कार्य की अवधि के साथ जोड़कर कुल अवधि की गणना की जाएगी।
यदि किसी शोधार्थी का पी0एच0डी0 कार्य से संबंधित शोध पत्र हाई इंपैक्ट फैक्टर वाले शोध पत्रिका में प्रकाशित होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की शोध ग्रन्थ जमा करने की अवधि कोशोध उपाधि समिति की अनुशंसा पर कम किया जा सकता है।

(5.4).(iv) शोधार्थी द्वारा अनुशासनहीनता करने पर, प्रकरण अनुशासन समिति को संदर्भित किया जाएगा, और समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(7.4) अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को बिना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किये पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। बशर्ते ऐसे विद्यार्थी भारत सरकार द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची में शामिल हों।

<u>प्रस्ताव संख्या–4</u> **पीएच0डी0 पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा–2023 रिक्त सीटों का विवरण तथा प्रवेश परीक्षा नये शोध अध्यादेश–2023 के अनुसार किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्ताव।**

निर्णय :–

पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आगामी संयुक्त शोध **प्रवेश** परीक्षा (CRET) –2023 हेतु रिक्त सीटों का विवरण शोध परिषद के सदस्यों के सम्मुख रखा गया। परिषद द्वारा संयुक्त शोध **प्रवेश** परीक्षा (CRET)–2023 को शोध उपाधि अध्यादेश–2023 के अनुसार किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव संख्या–5 **विभिन्न दीक्षांत समारोहों में शोधार्थियों को दी गई पीएच0डी0 उपाधि का विवरण परिषद के संज्ञानार्थ।**

निर्णय :–

विभिन्न दीक्षांत समारोह में प्रदान की गई पी0एचडी0 उपाधियों का विवरण शोध परिषद के सम्मुख रखा गया। **परिषद उक्त से अवगत हुई।**

प्रस्ताव संख्या–6 शोध ग्रन्थ मूल्यांकन हेतु बाह्य परीक्षकों को नामित किये जाने की प्रक्रिया पर विचार।

निर्णय :–

शोध उपाधि अध्यादेश के अनुच्छेद (12.8) में निम्नवत संशोधन प्रस्तावित किया गया।

"शोध ग्रंथ मूल्यांकन हेतु बाहय परीक्षकों को नामित किए जाने हेतु शोध उपाधि समिति के संयोजक तथा संबंधित विद्याशाखा के निदेशक द्वारा विषय विशिष्टीकरण वाले 5–5 बाह्य परीक्षंकों की सूची शोध निदेशालय को कुलपति के **विचारार्थ** उपलब्ध कराई जायेगी। कुलपति द्वारा प्रत्येक सूची में से 1–1 विशेषज्ञों को बाह्य परीक्षक के रूप में नामित किया जाएगा।" **परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

प्रस्ताव संख्या–7 **पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (CRET) के माध्यम से प्रथम चरण में भरी जाने वाली रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची का प्रावधान पर विचार।**

निणर्यः–

परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–8 **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शोध को बढ़ावा दिये जाने तथा विभिन्न राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के मध्य समन्वय किये जाने पर जोर दिया गया है।**

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय ने शोध परिषद की दूसरी बैठक के बिन्दु संख्या–7 में विश्वविद्यालय में शोध गुणवत्ता बढ़ाने के लिए देश एवं विदेश के उच्च स्तरीय शासकीय शोध संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से अन्तर्विषयी शोध को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया था। उपरोक्त प्रावधान में निजी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ एम0ओ0यू0 हेतु स्पष्ट नियमों का उल्लेख नहीं हैं। अतः निजी संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 हेतु प्रावधानकिये जाने पर विचार।

निर्णय :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020के आलोक मेंपरिषद की तृतीय बैठक में विश्वविद्यालय में शोध गुणवत्ता बढ़ाने के लिए देश एवं विदेश के उच्च स्तरीय शासकीय शोध संस्थानों के साथ–साथ निजी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ भी संयुक्त रूप से अंतर विषयी शोध को बढ़ावा दिये जाने हेतु **ऐसे इच्छुक संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

Garima [signature]

प्रस्ताव संख्या–9 शोध निर्देशकों द्वारा अन्यत्र विश्वविद्यालयों में सेवायें देने तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में सेवा से त्याग–पत्र देने की स्थिति में संबंधित सहायक–प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक के निर्देशन में पंजीकृत/पंजीकरण हेतु प्रस्तावित शोधार्थियों को अन्य निर्देशकों अथवा विशेषज्ञों के साथ सम्बद्ध किये जाने सम्बन्धी नीति पर विचार।

निर्णयः–

परिषद द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित शोधार्थी को सम्बद्ध (allied) विषय के शोध निर्देशक के साथ सम्बद्ध कर लिया जाय और पूर्व शोध निर्देशक को सह–निर्देशक के रुप में नामित किया जाय, ताकि शोध कार्य निर्वाध रूप से संचालित हो सके।

प्रस्ताव संख्या–10 आगामी पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा हेतु पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में रिक्त रह गयी सामान्य दिव्यांग सीट को सामान्य श्रेणी की सीटों में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः–

परिषद द्वारा आरक्षण संबंधी प्रकरणों को विश्वविद्यालय की आरक्षण निर्धारण संबंधी समिति में रखे जाने का सुझाव दिया गया।

प्रस्ताव संख्या–11 अन्य प्रसंग अध्यक्ष जी की अनुमति से।

निर्णयः–

(i)- निदेशक यूसर्क द्वारा सुझाव दिया गया कि पी0एच0डी0 पाठ्यकार्य में यूसर्क द्वारा आयोजित किये जा रहे एक सप्ताह के 'Experimental Lab' component को शामिल किया जाना चाहिए। परिषद ने माननीय सदस्या के इस प्रस्ताव की प्रशंसा की और इसे आगामी वर्षों में पाठ्यकार्य में सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

(ii) - निदेशक यूसर्क द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा दिये जाने के लिए एसे विषयों पर प्रस्ताव तैयार किये जाये जो राज्य के विकास नीतियों के निर्माण में सहायक हो सके। ऐसे अन्तर्विषयी (Interdiscplinary) शोध परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन हेतु यूसर्क को आवेदन किया जा सकता है।

परिषद द्वारा माननीय सदस्या के इस सुझाव की प्रसंशा करते हुए इस पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए निदेशक, शोध एवं नवाचार से आग्रह किया गया।

अन्त में अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त हुई।

Priya
22/05/2023
(शोध अधिकारी)

22/5/2023
सदस्य सचिव